## निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0, सर्वोदयनगर, कानपुर।

### सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों / विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

संख्याःटी–16 / पुनर्योजन / 2022 / 7753 दिनांकः 23 मई, 2022

उ0प्र0शासन के श्रम अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या:525 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019, दिनांक 27–4–2020 एवं 559 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019, दिनांकः10–6–2020 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों / औषधालयों में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों / विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में शासनादेश संख्या:771 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019, दिनांकः6–7–2020 तथा 923 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019, दिनांकः6–10–2020 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों एवं औषधालयों के निम्नलिखित पदों को सेवानिवृत्त विशेषज्ञों / चिकित्साधिकारियों से भरने के लिए दिए गए अनुमोदन के क्रम में, कर्मचारी राज्य बीमा योजना,उ0प्र0 / उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा से सेवानिवृत्त या दिनांक 30–6–2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्साधिकारियों / विशेषज्ञों से, जो उ0प्र0 सरकार की पुरानी पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के राजकोष से पेंशन हेतु पात्र है, एक वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने या लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 से नियमित नियुक्ति होने या पदोन्नति से नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हो) के लिए पुनर्नियुक्ति / पुनर्योजन हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक–10 जून, 2022, सायं:5:00 बजे तक पंजीकृत / स्पीडपोस्ट / साधारण डाक से या सीधे निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं,उ0प्र0 सर्वोदयनगर, कानपुर में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

**कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की रिक्तियों का विवरण**

| क्र0 सं0 | क0रा0बी0 चिकित्सालय | विशेषज्ञ | | | | | | | साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी (जी.डी. एम.ओ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | फिजीशियन | सर्जन | आर्थो. सर्जन | रेडियो लाजिस्ट | एनेस्थेटिस्ट | चेस्ट एवं टी0बी0 रोग | पैथा लाजिस्ट | |
| 1 | पाण्डुनगर, कानपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | सर्वोदयनगर, कानपुर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 |
| 3 | किदवईनगर, कानपुर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| 4 | आजादनगर, कानपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09 |
| 5 | नैनी, प्रयागराज | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 6 | आगरा | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03 |
| 7 | मोदीनगर | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06 |
| 8 | अलीगढ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06 |
| 9 | सहारनपुर | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03 |
| 10 | पिपरी.रेनकूट, सोनभद्र | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 |
| | योग | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 52 |

विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी हेतु रिक्तियां–21
साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी हेतु रिक्तियां–52

**कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की रिक्तियों का जनपदवार विवरण**

| क्रमांक | क्षेत्र एवं उसके अन्तर्गत कुल रिक्तियां | जनपदवार रिक्तियों का विवरण। |
|---|---|---|
| 1 | कानपुर क्षेत्र–43 | कानपुर–40, इटावा–1, फरूखाबाद–1, झांसी–1 |
| 2 | लखनऊ क्षेत्र–07 | सीतापुर–1, हरदोई–3, रायबरेली–2, अमेठी–1 |
| 3 | प्रयागराज क्षेत्र–10 | प्रयागराज–5, सोनभद्र–5 |
| 4 | बरेली क्षेत्र–4 | शाहजहांपुर–2, मुरादाबाद–1, अमरोहा–1 |
| 5 | आगरा–5 | अलीगढ–1, फिरोजाबाद–1, हाथरस–1, मथुरा–1 आगरा–1 |
| 6 | गाजियाबाद क्षेत्र–18 | गाजियाबाद–15, बुलन्दशहर–3 |
| 7 | सहारनपुर क्षेत्र–6 | सहारनपुर–4, मुजफ्फरनगर–1, मेरठ–1 |
| 8 | वाराणसी क्षेत्र–1 | मउ–1 |
| | **कुल रिक्तियां–94** | |

पुनर्योजन / पुनर्नियुक्ति की शर्ते एवं प्रतिबंध एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईट URL:http://uplabour.gov.in/ESIS या sewayojan.up.nic.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। कृपया आवेदन से पूर्व ध्यान से पढ ले।

(प्रेम प्रकाश पाल)
निदेशक,

## Directorate, ESI Labour Medical Sevices, UP, Sarvodayanagar, Kanpur

## Advertisment for Re-appointment of Retired Medical Officers/Specialists

No:T-16/Punaryogan/2022/7753 Date: 23 May, 2022

The State Govt. has decided to re-appoint the retired Medical Officers/ Specialists against vacant post of GDMOs/Specialists in ESI Hospitals and Dispensaries under ESI Scheme UP, vide GO No:525/36-6-2020-34(sa)/2019, dated:27.4.2020 and 559/36-6-2020-34(sa)/2019, dated 10-6-2020. In pursuance of above, the applications are invited from Retired or to be retired till 30th June 2022 GDMOs/Specialists of ESI Scheme UP/ UP Provincial Medical Health services (eligible for pension from state govt. Treasury under old pension scheme of UP govt.) for reappointment on following posts approved by GO No:771/36-6-2020-34(sa)/2019, dated6-7-2020 and 923/36/36-6-2020-34(sa)/2019, dated:6-10-2020 for the period of one year or age up to 65 year or till the availability of regular candidate through Public Service Commission, UP or promotion (whichever is earlier) on prescribed format by 10 June, 2022, 5.00 PM by Registered/Speed Post/by ordinary Post or by directly in Directorate, Employee's State Insurance Scheme, Labour Medical Services UP, Sarvodaya nagar Kanpur.

### Vacancies for ESI Hospitals

| Sl. No. | ESI Hospital | Specialist | | | | | | | GDMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Physician | Surgeon | Ortho. Surgeon | Radiologist | Anesthetist | Chest & T.B. | Pathologist | |
| 1 | Pandunagar, Kanpur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Sarvodayanagar, Kanpur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 |
| 3 | Kidwainagar, Kanpur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 |
| 4 | Azadnagar, Kanpur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09 |
| 5 | Naini, Prayagraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 6 | Agra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03 |
| 7 | Modinagar, Gaziabad | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06 |
| 8 | Aligarh | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06 |
| 9 | Saharanpur | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03 |
| 10 | Pipri, Sonbhadra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 |
| | Total | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 52 |

No. of Vacancies
Specialists - 21
GDMO -52

**Vacancies for ESI Dispensaries (District wise)**

| Sl.No. | Region and total no. of vacancies | Details of vacancies Districtwise |
|---|---|---|
| 1 | Kanpur Region-43 | Kanpur-40, Etawaha-1, Farrukhabad-1, Jhansi-01 |
| 2 | Lucknow Reigon-07 | Sitapur-1, Hardoi-3, Raibareilly-2, Amethi-1 |
| 3 | Prayagraj Region-10 | Prayagraj-5, Sonbhadra-5 |
| 4 | Bareily-04 | Shahjhanpur-2, Moradabad-1, Amroha-1 |
| 5 | Agra Region-5 | Aligarh-1, Firozabad-1, Hathras-1, Mathura-1, Agra-1 |
| 6 | Gaziabad-18 | Gaziabad-15, Bulandsahar-3 |
| 7 | Saharanpur-6 | Saharanpur-4, Muzzafarnagar-1, Merrut-1 |
| 8 | Varanasi-1 | Mau-1 |
| | Total-94 | |

The term and condition and proforma for application format for reappointment is available on URL http://uplabour.gov.in/ESIS and sewayojan.up.nic.in. Applicants are requested to kindly read carefully before apply.

( Prem Prakash Pal)
Director

संख्या–558 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उ0प्र0,
सर्वोदयनगर, कानपुर।

517
30337
Sr. Clerk
निदेशक
16-6-2020

श्रम अनुभाग–6

लखनऊ :: दिनॉक 16 जून, 2020

**विषय–कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औषधालयों में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों को सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से भरे जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःटी–16 / पुनर्नियुक्ति / 2020 / 7482, दिनांक 11.05.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157 / सेक–2–पांच–14–7(255) / 13, दिनांक 13 जनवरी, 2014 के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औषधालयों में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों को सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से भरे जाने का निर्णय लिया गया है :–

**पुनर्नियोजन के माध्यम से सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों, विशेषज्ञों का चयन।**

शासनादेश संख्याः 525 / 36–6–2020–34(सा0) / 2019, दिनांक 27.04.2020 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों एवं औषधालयों के रिक्त चिकित्साधिकारियों / विशेषज्ञों के पदों पर सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों / विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। अतः किसी भी दशा में पुनर्नियुक्ति / पुनर्योजन से भरे जाने वाले रिक्त पद स्वीकृत पदों की सीमा से अधिक नहीं होंगे और इन स्वीकृत पदों पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 / पदोन्नति से नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पुनर्नियुक्त चिकित्सकों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी।

**पुनर्नियुक्ति / पुनर्योजन पर नियुक्ति की प्रक्रिया।**

1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी एवं सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी का पुनर्नियोजन एक समिति बनाकर किया जाएगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

| | | |
|---|---|---|
| (1) | निदेशक, क0रा0बी0 योजना, उ0प्र0। | अध्यक्ष |
| (2) | शासन स्तर से नामित अपर श्रमायुक्त (प्रशासन) | सदस्य |
| (3) | अनुसूचित जाति का एक अधिकारी (निदेशक द्वारा नामित) | सदस्य |
| (4) | अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी (निदेशक द्वारा नामित) | सदस्य |
| (5) | अल्पसंख्यक वर्ग का एक अधिकारी (निदेशक द्वारा नामित) | सदस्य |
| (6) | जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के प्राचार्य, सदस्य द्वारा नामित विभागाध्यक्ष स्तर का एक प्रतिनिधि | सदस्य |

SO SK Singh letter 2020-J

क्रमशः ...................2

2. उक्त समिति पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजित किए जाने वाले चिकित्साधिकारियों/विशेषज्ञों के प्रस्तावों को शासन भेजकर उन पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत पुनर्नियुक्ति/ पुनर्योजन संबधी आदेश निदेशक, क0रा0बी0 योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उ0प्र0, कानपुर द्वारा जारी किये जायेंगे।

3. उपरोक्त समिति द्वारा फिलहाल एक वर्ष के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना में पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन पर विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसे 02 वर्ष की सीमा तक नवीनीकरण (Renewable) किया जा सकेगा। सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 15.12.1983, सपठित शासनादेश दिनांक 25.11.1988 एवं शासनादेश दिनांक 27.9.1987 में दी गई शर्तों के अधीन, नियमित विशेषज्ञों/चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए किया जाएगा। पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन की अवधि वर्षानुवर्ष गुण–दोष एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर 65 वर्ष तक बढाई जा सकेगी। लोक सेवा आयेग के माध्यम से चिकित्सकों के नियमित चयन के उपरांत उपर्युक्तानुसार पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजित चिकित्सक की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन निदेशक, क0रा0बी0 योजना के द्वारा प्रशासकीय विभाग अर्थात् श्रम विभाग से पुनर्योजित किए जाने वाले चिकित्सकों के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

4. संबंधित सेवानिवृत्त चिकित्सक को पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा सेवाकाल में प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता पर विचार किया जाएगा तथा उक्त समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबधित चिकित्सक की सामान्य ख्याति अच्छी हो और उनके द्वारा अपने सेवाकाल में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की गई हो।

**<u>पुनर्नियोजन/पुनर्योजन के आधार पर चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध।</u>**

1. पुनर्नियोजन/पुनर्योजन के उपरांत विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्साधिकारियों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जाएगा। पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जाएगा। पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन की अवधि में इन्हें कन्सलटेंट या परामर्शी कहा जाएगा।
2. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन के पदों का निर्धारण निदेशक क0रा0बी0 योजना, उ0प्र0 की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाएगा। शासन से पुनर्योजन के पदों का निर्धारण होने के उपरांत निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उ0प्र0 द्वारा चिकित्सालय एवं औषधालयवार रिक्तियों की सूचना तैयार करके उन रिक्तियों को व्यापक परिचालन वाले कम से कम 01 अंग्रेजी व 2 हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगें।
3. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नही गिनी जाएगी और पद का कार्यभार ग्रहण कराने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आए। पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन+शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा, किन्तु पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।
5. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्साधिकारियों को अस्थाई कर्मचारियों की भांति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

क्रमशः ...................3

6. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्साधिकारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता तथा उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम 16–ए में प्राविधानित है।
7. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों एवं चिकित्सालयों में नियुक्त चिकित्साधिकारियों/विशेषज्ञों को आपातकालीन/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
8. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन चिकित्सकों की सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने पर अस्थाई सरकारी सेवक की भांति एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। पुनर्योजन पर तैनात चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवामुक्त हो सकता है।
9. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन पर तैनात चिकित्सकों द्वारा मरीजों को कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों एवं औषधालयों में सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार उपलब्ध दवाओं को ही मरीजों को संस्तुत करना होगा तथा उनके द्वारा किसी भी रूप से प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जाएगा।
10. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन चिकित्सक को तैनाती से पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि सेवाकाल के दौरान अथवा पुनर्योजन के समय न तो कोई सी.बी.आई. जांच/सर्तकर्ता जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक मामला विचाराधीन है, यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।
11. पुनर्नियुक्ति/पुनर्योजन चिकित्सक को तैनाती से पूर्व सक्षम स्तर से जारी निर्धारित प्रारूप पर स्वस्थता प्रमाण पत्र तैनाती स्थल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. आदेश जारी होने के 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

कृपया उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( सुरेश चन्द्रा )
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–559(1)/36–6–2020–34(सा0)/2019–तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2– मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, क0रा0बी0 योजना, सर्वोदयनगर, कानपुर।
3– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, क0रा0बी0 योजना, उ0प्र0।
4– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2/3।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6।
7– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2।
8– चिकित्सा अनुभाग–2।
9– श्रम सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( चिरौंजी लाल )
अनु सचिव।

# पुनर्योजन/पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञप्ति संख्याः

दिनांकः

आवेदित पद (विशेषज्ञ या जी0डी0एम0ओ0) [ ]

विशेषज्ञता [ ]

तैनाती हेतु वरीयता कम में इच्छित तीन स्थानः [ ] [ ] [ ]

स्वप्रमाणित फोटो लगाएं

1. आवेदक का नामः डा0.........................................................................
2. पिता/पति का नामः श्री......................................................................
3. जन्म तिथिः(आयु के प्रमाण हेतुः.......................................................
   हायर सेकेन्डरी या हाई स्कूल प्रमाण
   पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
4. आयु (01–07–2022 को).....................................................................
5. वैवाहिक स्थिति .....................................................................
6. जेन्डर पुरूष [ ] स्त्री [ ]
7. स्थायी पताः .....................................................................
   .....................................................................
   .....................................................................
   .....................................................................
8. पत्र व्यवहार का पताः .....................................................................
   .....................................................................
   .....................................................................
   .....................................................................

9. शैक्षिक योग्यताः– (प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न करें)

| शैक्षिक अर्हता | मेडिकल कालेज का नाम | बोर्ड/विश्वविद्यालय | उत्तीर्ण होने का वर्ष | श्रेणी | प्राप्तांक/पूर्णांक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एम.बी.बी.एस. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| परास्नातक डिग्री / डिप्लोमा (विशेषज्ञता सहित) | | | | | | |

10. विभाग का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए है........................................................................................

11. अंतिम पदनाम तथा कार्यालय का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए........................................................................

12. अंतिम प्राप्त वेतन......................................................

13. तैनाती विवरण (अंतिम तैनाती से शुरू करते हुए, पिछले 10 वर्षों की तैनाती का विवरण दिया जाए।

| पदनाम | कार्यरत स्थल | कार्यभार ग्रहण तिथि | कार्यमुक्त होने की तिथि |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

14. सेवानिवृत्ति का दिनांक..........................................................................................

15. पी0पी0ओ0नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें).............................................................................

16. क्या कोई सी.बी.आई.जांच / सर्तकता जांच / अनुशासनिक कार्यवाही / अपराधिक मामला विचाराधीन तो नही है। (शपथ पत्र संलग्न करे) ..........................................................

17. कोषागार का नाम एवं बैंक का नाम जहां से पेंशन आहरण हो रहा है। ..........................................................

18. पैन नम्बर..........................................................................................

19. आधार नम्बर..........................................................................................

20. अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो, प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)..................................................................................

21. राज्य चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन संख्या:(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें).........................

22. अनुभव:(यदि कोई हो, समुचित प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करें) ............

23. मोबाईल ..........................................20. ईमेल...................................................

संलग्नकः.......................................

मैं ...................................................घोषणा करता/करती हूं कि मैने विज्ञापन की पात्रता एवं शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लिया है जो मुझे स्वीकार है। मेरी जानकारी में मेरे द्वारा दी गयी सूचनाएं/अभिलेख सत्य है। मैने कोई भी तथ्य छिपाया नही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर बिना मुझे सूचना के मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी। मेरी नियुक्ति पुनर्योजन आधार पर की जाती है तो मुझे पद की नियमित नियुक्ति का धारणाधिकार नही होगा और मैं राज्य सरकार के अधीन शासकीय सेवा में विनयमितीकरण के लिए हकदारी जताते हुए कोई दावा प्रस्तुत नही करूंगा/करूंगी।

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम

(नोटः—आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाणकों की छायाप्रतियां स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न की जाएगी)

1—हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2—एम0बी0बी0एस0/स्नात्कोत्तर डिग्री/डिप्लोमा की छायाप्रति।
3—पी0पी0ओ0 की छायाप्रति।
4—मेडिकल सर्टिफिकेट की छायाप्रति।
5—पैन कार्ड की छायाप्रति।
6—आधार कार्ड की छायाप्रति।
7—सेवानिवृत्त के बाद चार्ज सर्टिफिकेट की प्रति।
8—कमांक—16 के लिए रू0—10/— मूल्य पर शपथ पत्र।